

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश


सं०सं०-1/विविध-54/2014-223(1)

/स्वा०, पटना, दिनांक- 14/02/2019

चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों/विभिन्न चिकित्सा शिक्षा संस्थानों (यथा-इंदिरा गाँधी हृदय रोग संस्थान, पटना, पटना दन्त महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना, राजकीय फार्मसी संस्थान, पटना, लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना/राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, पटना) के प्राचार्य/अधीक्षक/निदेशक द्वारा GeM Portal पर उपलब्ध सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के लिए GeM Portal पर निबंधन हेतु GeM-मार्गदर्शिका में दिये गये दिशा-निर्देश के आलोक में विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों को Primary user, Secondary user एवं Verifying authority के रूप में निम्नरूपेण नामित किया जाता है-

क्र०सं०	स्तर	नामित पदाधिकारी
1	Primary user	चिकित्सा शिक्षा से संबंधित प्रशाखा के संयुक्त सचिव/अपर सचिव/विशेष सचिव
2	Secondary user	संबंधित संस्थान के प्राचार्य/अधीक्षक/निदेशक
3	Verifying authority	श्री राम ईश्वर, संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग

2- इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।



(विवेकानन्द ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव


ज्ञापांक-1/विविध-54/2014-223(1)

/स्वा०, पटना, दिनांक- 14/02/2019

प्रतिलिपि:- प्राचार्य/अधीक्षक/निदेशक, सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, /सभी संबंधित चिकित्सा शिक्षा संस्थान, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/अपर सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/सभी संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



सरकार के अवर सचिव